

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 26.10.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला जयपुर हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेह समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. प्रो. श्री वीरुसिंह राठौड़,
ए 34, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
अध्यक्ष
2. श्री कन्हैयालाल मीना,
53/204, वीर तेजाजी रोड, रेयान स्कूल के
सामने, मानसरोवर, जयपुर
सदस्य
3. श्रीमती मंजू सैनी,
खातेडी मोड, शाहपुरा, हाल सी 171, निर्माण
नगर, जयपुर
सदस्य
4. श्री अरुण खटौड़,
सी 19-20ए मुखर्जी कॉलोनी, शास्त्री नगर,
जयपुर
सदस्य
5. अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय),
आयुक्तालय जयपुर
सदस्य-सचिव

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग को आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से




(कैलाश चन्द गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मान0 गृहमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त, उत्तर/दक्षिण/पश्चिम/पूर्व जयपुर, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जयपुर को प्रेषित कर लेख है। कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


26/10/2016
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस